



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2683]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2017/भाद्र 27, 1939

No. 2683]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017/ BHADRA 27, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

**का.आ. 3063(अ).**—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अधिसूचना सं. का.आ. 1825(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, करेरा वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (53 का 1972) के अधीन अधिसूचित है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, अभयारण्य में विविध पारिस्थितिक तन्त्र के कारण विविध वनस्पति दिखाई देती हैं।

और, अभयारण्य में काला हिरण, नीलगाय बड़ी संख्या में पाये जाते हैं और महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां जिसमें बार हेडिड गीज़, परलोक मक्खीमार, करकरा ग्रेने, बानकर, डैबचिक, तीतर, रोजी पैलीकन, चमरगिद्ध, अबाबील, दरजिन फुदकी, रंगबिरंगा कौडिल्ला, पिरोला, श्वेत खंजन, सफेद पैलीकन, सीखपर, कॉम्बड्यूक, तिदारी, गैडाल, जलमोर, टुइयां तोता, महाराष्ट्रा, कठफोडवा, मास हेरीयर, रंगबिरंगी माइना, बया, ग्रे धनेश, लाल काल्हक फ़ाख़्ता, राज चाहा, बैंगनी जलमुर्गी, लालसर चमरगिद्ध आदि सम्मिलित है।

और, प्रवासी पक्षियां बरहेडेड गोज (एन्सर इंडिकस), पिटिल (अनास अकुटा), शोवेल्लर (अनास लाइपेटा);

और, स्थानीय पक्षी प्रजातियां परादीसे फ्लाइकेचर (टेपेसफोन), डेमोइसेल्ले क्राने (अंथरोपोइदेस वीरगो), डारटेर (अंहींगा रूफा), ग्रे पारटरीग्रे (पेरडीक्स पेरडीक्स), रोजी पैलीकन (पेलेकनुस ओनोक्रोटलुस), व्हाइट बेकड वाल्चर (गल्पस अफरीकनुस), टैलोर पक्षी (ओथॉमुस), पीड किंगफिसर (क्रेयली रूडीस), बोल्टीमोर ओरिओल (आईकैटेरुस गलबुला), व्हाइट वागाटइल (मोटकील्ला अलवा), व्हाइट पैलीकन (पेलेकनुस इरयथरोरहायंचोस), कोमबदुके (सरकीडीओरनीस मेलनोटोस), गढवालली (अनअस स्ट्रेपेरा), जकना (जकनीदेइ), बलोस्सोमा हेअडेड (पसीट्टुकुला रोसेअटा), वादपेसकेर (पीकिदेइ), मार्स हेरिंडर (सिरकुस एरुगनोसुस), पीइड मयना (गराकुपीका कौट्रा), बया वीवर (पलोकयुस फिलीप्पीनुस), ग्रे होरबिल्ली

(टोक्यूस बीरोसटरीस), रेड टुरटेले डब (स्ट्रेपटोपेलीअ टरानक्युइवरीका), पीनेड सनीपे (रोसट्टराटुलीडेअ), पुरपले मोरहेन्स (पोरफयरीअ पोरफरीअ);

और, करेरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करेरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा अधिसूचित शहरी और 'आबादी' इलाकों की तरफ 500 मीटर और अन्य इलाकों में 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को करेरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, करेरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से अधिसूचित शहरी और 'आबादी' इलाकों की तरफ 500 मीटर से 2 किलोमीटर के विस्तार के साथ 93.00 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।

(2) करेरा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के मानचित्र इसके अक्षांश और देशांतर तथा जीपीएस निर्देशांक के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के 500 मीटर और 2 किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** और **II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के साथ मानचित्र लगे होंगे जिनमें विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या बड़े आवासीय परिसर या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रों में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न, प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधि स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा और यथा लागू केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अन्य नियम विनियमों तथा अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डारों और स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन का समर्थन करती हैं ग्रह वास सहित; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अंतर्गत दिए गए हैं:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343(अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचालन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**—लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**— (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर-केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या

		<p>मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;</p> <p>(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।</p>
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।</p>
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कारों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	प्राकृतिक और विरासत स्थान का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
13.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन यथा लागू महायोजना और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।</p>
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		<p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वाणिज्यिक बकरी और भेंड पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
18.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के विछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
20.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्यकी के साथ चालू कृषि और बागवानी पद्धतियां ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाहों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
27.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
<b>ग. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति.**—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(1)	प्रभागीय आयुक्त, ग्वालियर	अध्यक्ष;
(2)	जिला कलेक्टर, शिवपुरी	सदस्य;
(3)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी	सदस्य;



(4)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी, शिवपुरी	सदस्य;
(5)	जिला पंचायत शिवपुरी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य;
(6)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
(7)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(8)	नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(9)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(10)	राज्य राष्ट्रीय जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(11)	निदेशक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी,	सदस्य-सचिव ।

**6. निर्देश-निबंधन.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।


**8.** भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/73/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध- I**

करेरा वन्यजीव अभयारण्य, के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर अक्षांश और देशांतर तथा जी.पी.एस निर्देशांको के साथ मानचित्र



वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक		
क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए	25°43'34.583"उ	78°9'49.590"पू
बी	25°42'45.674"उ	78°14'58.066"पू
सी	25°26'54.021"उ	78°7'32.796"पू
डी	25°36'52.169"उ	78°2'22.212"पू
पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक		
क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए1	25°44'21.286"उ	78°7'36.337"पू
बी1	25°43'22.789"उ	78°15'57.598"पू
सी1	25°25'56.761"उ	78°8'13.651"पू
डी1	25°38'51.274"उ	78°1'41.408"पू

**उपाबंध-II**

करेरा अभयारण्य, करेरा मध्य प्रदेश के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित (500 मीटर के भीतर) ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्रामों के नाम	भू- निर्देशांक	
		अक्षांश	देशांतर
1.	देहार्थ सानी	उ25°42'44.0"	पू78°10'16.6'
2.	डुमडुमा	उ25°30'17.1"	पू78°06'30.3"
3.	लांगुरी	उ25°29'29.4"	पू78°07'52.1"
4.	हाजी नगर	उ25°29'53.1"	पू78°06'59.5"
5.	जेरवा	उ25°30'27.3"	पू78°08'05.7"
6.	कुथिली	उ25°31'21.6"	पू78°07'11.1"
7.	गधई	उ25°31'55.5"	पू78°06'48.9"
8.	झांडा	उ25°32'22.2"	पू78°09'37.4"
9.	करई	उ25°33'59.5"	पू78°06'23.9"
10.	रामगारा	उ25°34'18.0"	पू78°07'00.0"
11.	बेरखेडा	उ25°34'08.5"	पू78°10'01.0"
12.	नैनागीर	उ25°35'18.6"	पू78°07'54.2"
13.	फतेहपुर	उ25°36'05.6"	पू78°09'21.8"
14.	बरसोडी	उ25°35'50.4"	पू78°10'48.6"
15.	बहगवन	उ25°29'24.46"	पू78°06'17.8"
16.	मुडेनी	उ25°36'.17.0"	पू78°06'41.4"
17.	बाराऊ	उ25°35'57.6"	पू78°05'54.2"
18.	करेवाह	उ25°38'05.0"	पू78°07'30.5"
19.	चिताहारी	उ25°39'02.1"	पू78°07'51.4"
20.	राजपुर	उ25°38'47.1"	पू78°09'11.9"
21.	राजपहारी	उ25°41'27.0"	पू78°12'58.0"
22.	एंडोरा	उ25°40'37.3"	पू78°13'08.7"
23.	जरगावनसानी	उ25°39'50.5"	पू78°12'16.6"
24.	रोनीजा	उ25°39'25.5"	पू78°11'33.7"
25.	दिहायाला	उ25°38'59.4"	पू78°09'41.1"
26.	तुरकानी	उ25°38'18.3"	पू78°10'43.7"
27.	भैनसा	उ25°41'41.3"	पू78°10'49.0"
28.	डोनी	उ25°41'08.8"	पू78°09'45.1"
29.	गोकुंडा	उ25°41'08.2"	पू78°09'45.5"
30.	बिजोर	उ25°38'52.3"	पू78°07'45.4"
31.	सुनारी	उ25°41'18.5"	पू78°11'49.6"
32.	फूलपुर	उ25°37'13.2"	पू78°09'59.6"
33.	खड़ीचा	उ25°36'26.4"	पू78°08'32.4"
34.	सिलारा	उ25°36'31.3"	पू78°11'01.9"
35.	चंदपथा	उ25°30'57.3"	पू78°08'59.9"

**उपाबंध III**

करेरा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित (2 किलोमीटर के भीतर) ग्रामों की सूची

क्र.स.	ग्रामों के नाम	भू-निर्देशांक	
		अक्षांश	देशांतर
1.	पटेरी		
2.	सिहोर	उ25°39'46.72"	पू78°05'36.91"
3.	भंसदाखुर्द	उ25°39'48.3"	पू78°13'53.7"
4.	समोहा	उ25°34'14.0"	पू78°11'36.3"
5.	खेरामोदी	उ25°32'01.1"	पू78°10'39.9"
6.	लमकाना	उ25°40'55.1"	पू78°15'03.2"
7.	जारावानी	उ25°47'24.19"	पू78°13'48.55"
8.	पुल्हा	उ25°38'16.37"	पू78°06'08.80"
9.	मानक की मडैया	उ25°39'04.16"	पू78°05'32.74"
10.	नैकोरा	उ25°36'43.9"	पू78°12'44.1"
11.	खैमोदी	उ25°32'06.7"	पू78°10'14.8"
12.	बागेदारी	उ25°30'0.2"	पू78°09'33.4"
13.	मियोरा	उ25°42'52.51"	पू78°08'23.30"

**उपाबंध IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**New Delhi 15<sup>th</sup> September, 2017

**S.O. 3063(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1825(E), dated the 19<sup>th</sup> May, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**WHEREAS**, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the central government;

**AND WHEREAS**, the Karera Wildlife Sanctuary notified under the Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972) and situated in the Shivpuri District in the State of Madhya Pradesh is spread over an area of 202.21 square kilometers;

**AND WHEREAS**, a variety of vegetation is seen in the sanctuary due to its diverse ecosystems;

**AND WHEREAS**, Black Buck, Nilgai are found in large numbers in the sanctuary and the important avifauna include Bar headed geese, paradise flycatcher, Demoiselle Crane, Darter, Dabchick, Grey partridge, Rosy pelican, white backed vulture, wiretailed swallow, Tailor bird, Pied Kingfisher, Black headed golden Oriole, white wagtail, white pelican, pintail, combduke, Shoveller, Gadwall, Jacana, Blossom headed parakeet, Mahratta, Woodpecker, Marsh Harrier, Pied Myna, Baya weaver, Grey Horbill, Red Turtle Dove, Painted snipe, Purple moorhens and Red crested pochard vulture etc;

**AND WHEREAS**, migratory birds are Barheaded Goose (*Anser indicus*), Pintail (*Anas acuta*), Shoveller(*Anas lypeata*);

**AND WHEREAS**, local bird species are Paradise Flycatcher (*Terpsiphone*), Demoiselle crane (*Anthropoides virgo*), Darter (*Anhinga rufa*), Grey partridge(*Perdix perdix*), Rosy pelican (*Pelecanus onocrotalus*), White backed vulture (*Gyps africanus*), Tailor bird (*Orthotomus*), Pied kingfisher (*Ceryle rudis*), Baltimore Oriole (*Icterus galbula*), White wagtail (*Motacilla alba*), White pelican (*Pelecanus erythrorhynchos*), Combduke (*Sarkidiornis melanotos*), Gadwall (*Anas strepera*), Jacana (*Jacanidae*), Blossom headed (*Psittacula roseata*), Woodpecker (*Picidae*), Marsh harrier (*Circus aeruginosus*), Pied Myna (*Gracupica contra*), Baya weaver (*Ploceus philippinus*), Grey horbill (*Tockus birostris*), Red turtle Dove (*Streptopelia tranquebarica*), Pained snipe (*Rostratulidae*), Purple moorhens (*Porphyrio porphyria*);

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of the Karera Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view *and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.*

**Now therefore**, in exercise of powers conferred in sub-section (1) read with clause (V) and clause (xiv) of sub-section (2) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 500 meter on notified urban and 'abadi' areas and 2 kilometer on the rest of area from the boundary of the Karera Wildlife Sanctuary, as the Karera Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after called the Eco sensitive Zone).

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 93.00 square kilometres with an extent varying from 500 meter from notified urban and 'abadi' areas and 2 kilometer on the rest of area from the boundary of the Karera Wildlife Sanctuary.

(2) The maps of the Karera Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone along with latitudes, longitudes and GPS coordinates of boundaries are appended as **Annexure-I**.

(3) The lists of villages falling within 500 meters and 2 kilometers from the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexures-II & III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism including Eco-tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal and urban development;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Landuse.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules

and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

**(2) Natural water bodies.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

**(3) Tourism, Eco-tourism.-**

- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on Eco-tourism.
  - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

**(4) Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

**(5) Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

**(6) Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000, under the Environment (Protection) Act, 1986.

**(7) Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

**(8) Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

**(9) Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

**(11) Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

**(12) Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

**(13) E-waste.-** The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

**(14) Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

**(16) Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**(18)** The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

#### **4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—



**TABLE**

S No	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.  Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
12.	Conservation of natural and heritage spots.	Prohibition on construction near natural heritage spots/sites.
<b>B. Regulated Activities</b>		
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever

		is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:-</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</li> <li>(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</li> <li>(iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board in February 2016;</li> <li>(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</li> <li>(v) promoted activities listed in this Notification.</li> </ul> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Commercial Goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</p>
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone me by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of Eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- |                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) Divisional Commissioner, Gwalior                                                                                                        | -Chairman;         |
| (2) District Collector, Shivpuri district                                                                                                   | -Member;           |
| (3) Superintendent Engineer, Public Works Department, Shivpuri                                                                              | -Member;           |
| (4) Superintendent Engineer, Public Health Engineering, Shivpuri                                                                            | -Member;           |
| (5) CEO of District Panchayat Shivpuri                                                                                                      | -Member;           |
| (6) One representative of NGO working in the filed<br>of environment to be nominated by the State<br>Government for a period of three years | -Member;           |
| (7) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years        | -Member;           |
| (8) Representative of the Town and Country Planning Department                                                                              | -Member;           |
| (9) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board                                                                                | -Member;           |
| (10) Member, National biodiversity Board                                                                                                    | -Member;           |
| (11) Director, Madhav National Park, Shivpuri                                                                                               | -Member Secretary. |

**(6) Terms of Reference** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/73/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF THE ECO SENSITIVE ZONE OF KARERA WILDLIFE SANCTUARY



Coordinates of prominent points on the boundary of Wildlife Sanctuary		
S.No.	Latitude	Longitude
A	25°43'34.583"N	78°9'49.590"E
B	25°42'45.674"N	78°14'58.066"E
C	25°26'54.021"N	78°7'32.796"E
D	25°36'52.169"N	78°2'22.212"E
Coordinates of prominent points on the boundary of Eco-sensitive Zone		
S.No.	Latitude	Longitude
A1	25°44'21.286"N	78°7'36.337"E
B1	25°43'22.789"N	78°15'57.598"E
C1	25°25'56.761"N	78°8'13.651"E
D1	25°38'51.274"N	78°1'41.408"E

**ANNEXURE-II****LIST OF VILLAGES PROPOSED TO BE INCLUDED (WITHIN 500 METER) IN THE ECO-SENSITIVE AREAS OF KARERA SANCTUARY, KARERA, MADHYA PRADESH**

S.No.	Name of Village	Co-Ordinate	
		Latitude	Longitude
1.	Dehartha sani	N25°42'44.0''	E78°10'16.6'
2.	Dumduma	N25°30'17.1''	E78°06'30.3''
3.	Languri	N25°29'29.4''	E78°07'52.1''
4.	Haji nagar	N25°29'53.1''	E78°06'59.5''
5.	Jerwa	N25°30'27.3''	E78°08'05.7''
6.	Kuthili	N25°31'21.6''	E78°07'11.1''
7.	Gdhai	N25°31'55.5''	E78°06'48.9''
8.	Jhanda	N25°32'22.2''	E78°09'37.4''
9.	Karai	N25°33'59.5''	E78°06'23.9''
10.	Ramgara	N25°34'18.0''	E78°07'00.0''
11.	Berkheda	N25°34'08.5''	E78°10'01.0''
12.	Nainagir	N25°35'18.6''	E78°07'54.2''
13.	Fatehpur	N25°36'05.6''	E78°09'21.8''
14.	Barsodi	N25°35'50.4''	E78°10'48.6''
15.	Bahgawan	N25°29'24.46''	E77°06'17.8''
16.	Mudeni	N25°36'.17.0''	E78°06'41.4''
17.	Baraua	N25°35'57.6''	E78°05'54.2''
18.	Karewah	N25°38'05.0''	E78°07'30.5''
19.	Chitahari	N25°39'02.1''	E78°07'51.4''
20.	Rajpur	N25°38'47.1''	E78°09'11.9''
21.	Raipahari	N25°41'27.0''	E78°12'58.0''
22.	Andora	N25°40'37.3''	E78°13'08.7''
23.	Jargawansani	N25°39'50.5''	E78°12'16.6''
24.	Ronija	N25°39'25.5''	E78°11'33.7''
25.	Dihayala	N25°38'59.4''	E78°09'41.1''
26.	Turkan	N25°38'18.3''	E78°10'43.7''
27.	Bhainsa	N25°41'41.3''	E78°10'49.0''
28.	Doni	N25°41'08.8''	E78°09'45.1''
29.	Gokunda	N25°41'08.2''	E78°09'45.5''
30.	Bijor	N25°38'52.3''	E78°07'45.4''
31.	Sunari	N25°41'18.5''	E78°11'49.6''
32.	Foolpur	N25°37'13.2''	E78°09'59.6''
33.	khadicha	N25°36'26.4''	E78°08'32.4''
34.	Silara	N25°36'31.3''	E78°11'01.9''
35.	Chandpatha	N25°30'57.3''	E78°08'59.9''

**ANNEXURE-III****LIST OF VILLAGES PROPOSED TO BE INCLUDED (WITHIN TWO KILOMETER) IN THE ECO-SENSITIVE AREAS OF KARERA SANCTUARY, KARERA (Madhya Pradesh)**

S.No.	Name of Village	Co-Ordinate	
		Latitude	Longitude
1.	Pateri		
2.	Sihor	N25°39'46.72''	E78°05'36.91''
3.	Bhansda Khurd	N25°39'48.3''	E78°13'53.7''
4.	Samoha	N25°34'14.0''	E78°11'36.3''
5.	Kheramodi	N25°32'01.1''	E78°10'39.9''
6.	Lamkana	N25°40'55.1''	E78°15'03.2''
7.	Jarawani	N25°47'24.19''	E78°13'48.55''
8.	Pulha	N25°38'16.37''	E78°06'08.80''
9.	Manak ki Madaiya	N25°39'04.16''	E78°05'32.74''
10.	Naikora	N25°36'43.9''	E78°12'44.1''
11.	Khemodi	N25°32'06.7''	E78°10'14.8''
12.	Bagedari	N25°30'0.2''	E78°09'33.4''
13.	Miyaora	N25°42'52.51''	E78°08'23.30''

**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:Details may be attached as Annexure:
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: